



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2015/फाल्गुन 26, 1936

No. 88]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2015/PHALGUNA 26, 1936

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 13 मार्च, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/92/2015.—भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 का अधिक्रमण करेंगे।

परिभाषाएँ

2. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

- (क) 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- (ख) 'प्राधिकरण' से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) 'परिवार' से एक इकाई अभिप्रेत है जिसमें पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता और अधिकतम तीन बच्चे हों; बशर्ते कि जहाँ बच्चों की संख्या तीन से अधिक हो, वहाँ उपर्युक्तानुसार परिवार की संरचना का अर्थ लगाने के लिए प्रथम तीन बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा;

आगे यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ता 'परिवार' की परिभाषा परिवार की संरचना के लिए निर्धारित उपर्युक्त मानदंडों के अंदर व्यक्ति अथवा समूह की अपेक्षाओं के अनुसार दे सकता है;

(घ) 'साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पाद' से इन विनियमों की अनुसूची I में बताई गई शर्तों के अनुसार, वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर कोई स्वास्थ्य बीमा संविदा, कोई संपत्ति, जैसे झोपड़ी, पशुधन अथवा साधनों या उपकरणों को समाविष्ट करनेवाली कोई संविदा अथवा कोई वैयक्तिक दुर्घटना संविदा अभिप्रेत है;

(i): साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा (7) में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्योग 10,000 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता-प्राप्त होंगी।

(ङ) 'जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद' से इन विनियमों की अनुसूची II में बताई गई शर्तों के अनुसार अभिकल्पित जीवन बीमा उत्पाद अभिप्रेत है;

(च) 'सूक्ष्म-बीमा एजेंट' से निम्नलिखित संस्थाएँ अथवा व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें इन विनियमों के अनुसार सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किया गया हो

- (i) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ);
- (ii) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी);
- (iii) लघु वित्त संस्था (एमएफआई);
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) – सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई);
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस-प्राप्त जिला सहकारी बैंक;
- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा (3) के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के अनुसार पात्र होने के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस-प्राप्त शहरी सहकारी बैंक;
- (viii) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसीएस);
- (ix) किसी भी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत अन्य सहकारी समितियाँ;
- (x) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधि।

स्पष्टीकरण—इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, --

- (I) विनियम 2 (च)(i) में उल्लिखित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से किसी भी कानून के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन लाभनिरपेक्ष उद्देश्य के साथ पंजीकृत लाभनिरपेक्ष संगठन अभिप्रेत है जो अपने ज्ञापन, नियमों, उप-विधियों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में दी गई रूपरेखा के अनुसार अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सहित, मुख्य धारा से हटे हुए समूहों के साथ कम से कम तीन वर्ष से कार्य करता रहा हो तथा प्रतिबद्ध लोगों की संबद्धता को दर्शाता हो।
- (II) विनियम 2 (च)(ii) में उल्लिखित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से कोई भी अनौपचारिक समूह अभिप्रेत है जिसमें दस या उससे अधिक व्यक्ति हों तथा जो अपने ज्ञापन, नियमों, उप-विधियों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में दी गई रूपरेखा के अनुसार अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त लक्ष्यों और उद्देश्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सहित, मुख्य धारा से हटे हुए समूहों के साथ कम से कम तीन वर्ष से कार्य करता रहा हो तथा प्रतिबद्ध लोगों की संबद्धता को दर्शाता हो।

- (III) विनियम 2 (च)(iii) में उल्लिखित लघु वित्त संस्था से अन्य बातों के साथ-साथ अपने सदस्यों को ऋण/वित्त मंजूर करने के लिए सोसाइटियों अथवा सहकारी समितियों, जैसी स्थिति हो, के पंजीकरण के लिए विद्यमान किसी भी कानून के अधीन पंजीकृत कोई भी संस्था अथवा प्रतिष्ठान अथवा संघ अभिप्रेत है;
- (IV) उपर्युक्त विनियम 2 (च) के (i) से (x) तक में उल्लिखित संस्थाएँ जो कॉरपोरेट एजेंटों के रूप में अथवा बीमा दलालों के रूप में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने में पहले से ही रखी गई हैं अथवा रिफ़रल कंपनी के रूप में नियुक्त हैं, सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।
- (V) जहाँ उपर्युक्त विनियम 2 (च)(x) पर उल्लिखित व्यवसाय प्रतिनिधि व्यक्ति हैं तथा बीमा एजेंटों के रूप में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने में पहले से ही रखे गये हैं अथवा कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, सूक्ष्म बीमा एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा बीमा दलालों के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त हैं, वहाँ वे सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(छ) 'सूक्ष्म-बीमा पॉलिसी' से ऐसी योजना के अधीन बेची गई बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है जो सूक्ष्म-बीमा उत्पाद के रूप में प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित की गई हो;

(1) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म बीमा वह बीमा है जो इन विनियमों के अधीन अनुमोदित सूक्ष्म बीमा उत्पादों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

(ज) 'सूक्ष्म-बीमा उत्पाद' में साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पाद अथवा जीवन बीमा उत्पाद अथवा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, प्रस्ताव प्रपत्र और उससे संबंधित समस्त विपणन सामग्री शामिल है।

(झ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

जीवन बीमाकर्ता और साधारण बीमाकर्ता के बीच सहबद्धता

3.(1) जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों एवं साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि जहाँ जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता किसी साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पाद का प्रस्ताव करता है, वहाँ इस प्रयोजन के लिए साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी बीमाकर्ता के साथ उसकी सहबद्धता होगी, तथा अधिनियम की धारा 64VB के उपबंधों के अधीन, उक्त साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पाद के लिए लगाया जानेवाला प्रीमियम जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा भावी ग्राहक (प्रस्तावक) से प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की किसी भी वितरक संस्था के माध्यम से वसूल किया जा सकता है तथा साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को प्रेषित किया जा सकता है:

आगे यह भी शर्त होगी कि साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अथवा सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की वितरक संस्थाओं, जैसी स्थिति हो, द्वारा उक्त प्रथम नियम में उल्लिखित सहबद्धता में विनिर्दिष्ट रूप में दावा साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को अग्रेषित किया जाएगा तथा दावे के शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पादों एवं जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का प्रस्ताव कर सकता है, जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि जहाँ साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता किसी जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद का प्रस्ताव करता है, वहाँ इस प्रयोजन के लिए जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले किसी बीमाकर्ता के साथ उसकी सहबद्धता होगी, तथा अधिनियम की धारा 64 VB के उपबंधों के अधीन, उक्त जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद के लिए लगाया जानेवाला प्रीमियम साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा भावी ग्राहक (प्रस्तावक) से प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनियम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सूक्ष्म-बीमा उत्पादों

की किसी भी वितरक संस्था के माध्यम से वसूल किया जा सकता है तथा जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को प्रेषित किया जा सकता है:

आगे यह भी शर्त होगी कि जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अथवा सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की वितरक संस्थाओं, जैसी स्थिति हो, द्वारा उक्त प्रथम नियम में उल्लिखित सहबद्धता में विनिर्दिष्ट रूप में दावा जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता को अग्रेषित किया जाएगा तथा दावे के शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी।

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए साधारण बीमाकर्ता में स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल है।

सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का वितरण

4(1) वैयक्तिक अथवा कारपोरेट एजेंटों के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाये गये संबंधित विनियमों के साथ पठित अधिनियम के अधीन पंजीकृत/नियुक्त बीमा एजेंट अथवा कारपोरेट एजेंट अथवा दलाल, अथवा बीमा दलालों, जैसी स्थिति हो, तथा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए अनुमतिप्राप्त ऐसे अन्य बीमा मध्यवर्तियों के अतिरिक्त, सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का वितरण सूक्ष्म-बीमा एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है:

बशर्ते कि सूक्ष्म-बीमा एजेंट सूक्ष्म-बीमा उत्पाद को छोड़कर किसी अन्य बीमा उत्पाद का वितरण नहीं करेगा।

(2) विनियम 2(घ)(i) में उल्लिखित साधारण सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का वितरण करने के प्रयोजन के लिए;

(क) साधारण बीमा कंपनी के पास सूक्ष्म उद्यमों अथवा लघु उद्यमों अथवा मध्यम उद्यमों में से किसी एक क्षेत्र के लिए अथवा इन सभी तीनों क्षेत्रों अथवा दो क्षेत्रों के किसी संयोजन के लिए सूक्ष्म-बीमा एजेंट की नियुक्ति करने का विकल्प है

(ख) साधारण बीमा कंपनी के पास व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु सूक्ष्म-बीमा एजेंटों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अथवा उनके किसी संयोजन के लिए अथवा साधारण बीमा व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं के लिए करने का विकल्प है।

(ग) साधारण बीमा कंपनी के पास विनिर्माण अथवा सेवा अथवा दोनों क्षेत्रों में इन संयोजनों में सूक्ष्म-बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने का विकल्प है।

सूक्ष्म-बीमा एजेंटों की नियुक्ति

5(1) सूक्ष्म-बीमा एजेंट की नियुक्ति बीमाकर्ता द्वारा एक करार विलेख करते हुए की जाएगी जिसमें दोनों सूक्ष्म-बीमा एजेंट और बीमाकर्ता के कर्तव्यों और दायित्वों सहित ऐसी नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएँगी:

(2) सूक्ष्म-बीमा एजेंट एक जीवन बीमा कंपनी और एक साधारण बीमा कंपनी के साथ कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म-बीमा एजेंट भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत किसी एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ भी कार्य कर सकता है।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित करार विलेख में निम्नलिखित एक या उससे अधिक अतिरिक्त कार्य करने के लिए सूक्ष्म-बीमा एजेंट को विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाएगा, अर्थात् :

(क) प्रस्ताव फार्मों का संग्रहण;

(ख) प्रस्तावक से स्व-घोषणा का संग्रहण कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है;

(ग) प्रीमियम का संग्रहण और विप्रेषण।

(i) जहाँ प्रीमियमों का संग्रहण और विप्रेषण करने के लिए सूक्ष्म-बीमा एजेंटों को प्राधिकृत किया जाता है, वहाँ प्रीमियमों का संग्रहण करने पर प्राप्ति-सूचना देना उनके लिए बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य कर दिया जाएगा तथा प्रत्येक बीमाकर्ता ऐसी क्रियाविधियाँ लागू करेगा जिनसे सूक्ष्म-बीमा एजेंट ऐसी प्राप्ति-सूचनाएँ जारी कर सके।

(ii) सूक्ष्म-बीमा एजेंटों द्वारा जारी की गई प्रीमियमों की ऐसी प्राप्ति-सूचनाओं के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी हैं।

(घ) पॉलिसी दस्तावेजों का वितरण;

(ङ) पॉलिसीधारक के नाम, लिंग, आयु, पता, नामितियों संबंधी विवरण तथा अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर सहित, बीमाकृत सभी व्यक्तियों और सूक्ष्म-बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित उनके आश्रितों के रजिस्टर का अनुरक्षण;

(च) दावों के निपटान में सहायता;

(छ) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया जानेवाला नामांकन सुनिश्चित करना;

(ज) पॉलिसी के संचालन संबंधी कोई भी सेवा।

(4) सूक्ष्म-बीमा एजेंट अथवा बीमाकर्ता के पास उप-विनियम 5(1) में उल्लिखित करार को, करार को समाप्त करने के इच्छुक पक्षकार द्वारा तीन महीने की नोटिस देने के बाद समाप्त करने का विकल्प होगा।

बशर्ते कि उस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ऐसी किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ ऐसी समाप्ति सूक्ष्म-बीमा एजेंट द्वारा किये गये किसी कदाचार अथवा अनुशासनहीनता अथवा धोखाधड़ी के कारण हो।

(1) कोई भी बीमाकर्ता ऐसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था जिसकी सूक्ष्म-बीमा एजेंसी धोखाधड़ी / कदाचार को छोड़कर किसी अन्य कारण से समाप्त की गई हो, को पिछले बीमाकर्ता द्वारा उपर्युक्त करार के समापन की तारीख से 3 महीने समाप्त होने के बाद ही नियुक्त कर सकता है तथा विनियम (5)(1) के उपबंधों के अनुसार करार विलेख कर सकता है। कोई भी बीमाकर्ता ऐसे सूक्ष्म-बीमा एजेंट, जिसकी एजेंसी धोखाधड़ी अथवा कदाचार के कारण समाप्त की गई हो, को तब तक पुनः नियुक्त नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति / संस्था को आरोपों से मुक्त नहीं किया जाता।

(2) किसी सूक्ष्म-बीमा एजेंट की नियुक्ति के समापन की स्थिति में सेवासमाप्त सूक्ष्म-बीमा एजेंट की व्यपगत सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियाँ उसी बीमाकर्ता के किसी अन्य सेवारत सूक्ष्म-बीमा एजेंट को यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि आबंटन का उद्देश्य सूक्ष्म-बीमा पॉलिसीधारकों के लिए पॉलिसी संबंधी सेवा को सुरक्षित रखना और उन्हें प्रदान करना है, ऐसे सेवारत सूक्ष्म-बीमा एजेंट की पूर्व-सहमति प्राप्त करने के बाद आबंटित की जा सकती हैं। सूक्ष्म-बीमा एजेंट, जिसे ऐसी व्यपगत सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियाँ आबंटित की जाती हैं, संबंधित सूक्ष्म-बीमा उत्पाद की फाइल एण्ड यूज के अनुसार पारिश्रमिक / कमीशन के लिए हकदार है। पारिश्रमिक / कमीशन केवल सूक्ष्म-बीमा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही देय होगा।

(5) प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म-बीमा एजेंट को नियुक्त करने से पहले उसकी प्रतिष्ठा, पिछले रिकार्ड तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए और पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की क्षमता के संबंध में समुचित सावधानी बरतेगा।

सूक्ष्म-बीमा एजेंटों द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का नियोजन

6(1) सूक्ष्म-बीमा एजेंट विनियम 5 के उप-विनियम (3) में बताये गये सभी कार्यों अथवा उनमें से किसी भी कार्य का निष्पादन करने के प्रयोजन से बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन के साथ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का नियोजन करेगा।

बशर्ते कि कारपोरेट एजेंटों, बीमा दलालों और ऐसे अन्य बीमा मध्यवर्तियों, जिन्हें बीमा व्यवसाय प्राप्त करते हुए सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय करने की भी अनुमति दी गई हो, का नियंत्रण समय-समय पर संशोधित तथा यथाप्रयोज्य विनियमों द्वारा होना जारी रहेगा।

- (i) कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसने सूक्ष्म-बीमा एजेंट की सेवा से त्यागपत्र दिया हो, अन्य सूक्ष्म-बीमा एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पुनः नियुक्त किये जाने के लिए केवल त्यागपत्र की तारीख से 3 महीने समाप्त होने के बाद ही पात्र होगा।
- (ii) कोई भी सूक्ष्म-बीमा एजेंट किसी अन्य सूक्ष्म-बीमा एजेंट के लिए कार्य करनेवाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।
- (iii) कोई भी सूक्ष्म-बीमा एजेंट किसी बीमाकर्ता के साथ कार्य करनेवाले वैयक्तिक बीमा एजेंटों, किसी बीमाकर्ता के साथ कार्य करनेवाले कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा बीमा दलालों के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करेगा।

6(2) जहाँ सूक्ष्म-बीमा एजेंट किसी बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो, वहाँ वह विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा।

सूक्ष्म-बीमा एजेंटों की आचरण-संहिता

7.(1) प्रत्येक सूक्ष्म-बीमा एजेंट और उसके द्वारा नियुक्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित विनियम में निर्धारित आचरण-संहिता तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण के संबंधित उपबंधों का पालन करेगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता प्रत्येक सूक्ष्म-बीमा एजेंट द्वारा उक्त आचरण-संहिता, विज्ञापनों और प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगा।

(2) सूक्ष्म-बीमा एजेंट द्वारा पूर्वोक्त आचरण-संहिता और/या विज्ञापन और प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में आचरण-संहिता और/या विज्ञापन अथवा प्रकटीकरण संबंधी मानदंडों को भंग करने के लिए दंडात्मक परिणामों के अतिरिक्त उसकी नियुक्ति का समापन किया जाएगा।

सूक्ष्म बीमा उत्पाद की फाइलिंग

8.(1) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की फाइलिंग के संबंध में 'फाइल एण्ड यूज़' प्रक्रिया के अधीन होगा।

(2) सूक्ष्म-बीमा के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रत्येक सूक्ष्म-बीमा उत्पाद सुस्पष्ट रूप से शीर्षक 'सूक्ष्म-बीमा उत्पाद' को दर्शायेगा।

(3) इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के पास फाइल किये गये जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पाद इन विनियमों की अनुसूची-III के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अधीन होंगे।

सूक्ष्म-बीमा पॉलिसी संविदाओं का निर्गम

9.(1) प्रत्येक बीमाकर्ता वैयक्तिक सूक्ष्म-बीमा पॉलिसीधारक को बीमा संविदाएँ भारतीय संविधान में मान्यताप्राप्त भाषाओं में जारी करेगा जो सरल और पॉलिसीधारकों द्वारा आसानी से समझी जानेवाली हों।

बशर्ते कि जहाँ भारतीय संविधान में मान्यताप्राप्त भाषाओं में पॉलिसी संविदाएँ जारी करना संभव न हो, वहाँ बीमाकर्ता यथासंभव संबंधित उपयुक्त भाषा में पॉलिसी के विवरण के बारे में एक विस्तृत आलेख जारी करेगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता सामूहिक सूक्ष्म-बीमा पॉलिसीधारक को बीमा संविदाएँ समूह के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों का विवरण दर्शानेवाली अनुसूची के साथ एक अपरिवर्तनीय फार्म में जारी करेगा तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग प्रमाणपत्र भी जारी करेगा जो बीमे के प्रमाण के स्वरूप होगा, जिसमें बीमा रक्षा की वैधता अवधि का विवरण, नामांकित व्यक्ति का नाम, तथा जोखिम अंकन करनेवाले कार्यालय और सेवाप्रदाता कार्यालय के पते होंगे जहाँ दोनों कार्यालय एक नहीं हों।

(3) विनियम 9(1) के उपबंधों के होते हुए भी, बीमाकर्ता आगे सूक्ष्म-बीमा पॉलिसीधारक को प्रेषित करने के लिए एक सादा ए-4 आकार के कागज पर पॉलिसी संविदा मुद्रित करने के लिए भी सूक्ष्म-बीमा एजेंटों को अनुमति दे सकते हैं। पॉलिसी स्टाम्प के भुगतान का साक्ष्य मुद्रित पॉलिसी दस्तावेज पर दर्शाया जा सकता है।

जोखिम अंकन

10. कोई भी बीमाकर्ता बीमा रक्षा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु किसी बीमा प्रस्ताव का जोखिम अंकन करने के लिए किसी सूक्ष्म-बीमा एजेंट अथवा किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं करेगा।

क्षमता निर्माण

11 (1) प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विक्रय, पॉलिसीधारकों की सर्विसिंग और दावा प्रबंध के क्षेत्रों में सभी सूक्ष्म-बीमा एजेंटों और उनके विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भारत के संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त भाषाओं में अपने खर्च पर और अपने नामित अधिकारी (अधिकारियों) के माध्यम से कम से कम पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

बशर्ते कि वे सूक्ष्म-बीमा एजेंट, जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(2) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को साधारण बीमा पॉलिसियों का वितरण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, व्यवसाय की उन व्यवस्थाओं में जहाँ ऐसे सूक्ष्म-बीमा एजेंट नियुक्त है, बीमाकर्ता के खर्च पर 25 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(2) विनियम 11(1) में उल्लिखित प्रशिक्षण के घंटों की संख्या के कम से कम आधे भाग के लिए करार करने की तारीख से तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर बतौर पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में सूक्ष्म-बीमा एजेंटों को सूक्ष्म-बीमे की अंतर्निहित पॉलिसी में रक्षित आकस्मिक घटना के घटित होने की स्थिति में, जो उनकी जानकारी में हो, बीमाकर्ता को सूचित करने की उनकी बाध्यता से अवगत कराया जाएगा।

पारिश्रमिक / कमीशन

12 (1) बीमाकर्ता द्वारा सूक्ष्म-बीमा एजेंट को कमीशन सहित, विनियम 5 में दी गई रूपरेखा के अनुसार किये गये सभी कार्यों के लिए पारिश्रमिक अदा किया जा सकता है तथा वह इसके नीचे बताई गई सीमाओं से अधिक नहीं होगा :

(1) जीवन बीमा व्यवसाय के लिए :

एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ – एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत

गैर-एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ – प्रीमियम अदा करने की अवधि के सभी वर्षों के लिए प्रीमियम का बीस प्रतिशत

(2) साधारण बीमा व्यवसाय के लिए : प्रीमियम का पंद्रह प्रतिशत।

(2) जहाँ सूक्ष्म-बीमा एजेंट और बीमाकर्ता के बीच करार को जिस किसी भी कारण से समाप्त किया गया हो, वहाँ कोई भावी कमीशन/पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

(3) सामूहिक बीमा उत्पादों के लिए बीमाकर्ता उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट रूप में समग्र सीमा के अधीन कमीशन तय कर सकता है।

(4) सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के अंतर्गत सूक्ष्म-बीमा एजेंटों को छोड़कर अन्य पंजीकृत बीमा मध्यवर्तियों को देय पारिश्रमिक संबंधित प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों/ समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 के उपबंधों के अनुसार होगा।

अधिनियम और विनियमों का अनुपालन

13 (1) प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय से संबंधित सभी लेनदेन समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार हों।

विनियम 13(1) के उपबंधों के होने के बावजूद;

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013 के उपबंध इन विनियमों के अधीन अनुमोदित जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों पर लागू नहीं होंगे।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व

14. (1) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सभी सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियों को बीमाकर्ता द्वारा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जा सकता है।

(2) जहाँ सूक्ष्म-बीमा पॉलिसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जाती है और सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत आती है, वहाँ ऐसी पॉलिसी को दोनों ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों के लिए पृथक् रूप से गणना में लिया जा सकता है।

शिकायतों / परिवादों पर कार्रवाई

15 (1) बीमाकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सूक्ष्म-बीमा एजेंट के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई और उनका निपटान शीघ्रता और तत्परता के साथ करें।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म-बीमा एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों/परिवादों, यदि कोई हों, पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण को एक तिमाही रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण

16. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकरण किसी भी सूक्ष्म-बीमा एजेंट के कार्यालय और अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण करवा सकता है।

सूचना का प्रस्तुतीकरण

17 प्रत्येक बीमाकर्ता सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय के संबंध में सूचना उस रूप में और उस तरीके से तथा ऐसे व्योरे के साथ प्रस्तुत करेगा जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किया जाएगा।

इन विनियमों के अंतर्गत सूक्ष्म-बीमा व्यवसाय संबंधी व्यावसायिक / दावों के आंकड़े प्रेषित करने के प्रयोजन के लिए राज्य / केन्द्र सरकार की तथा किसी भी सरकार की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी व्यावसायिक / दावों के आंकड़े शामिल नहीं किये जाएंगे।

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

18 इन विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोग अथवा अर्थनिर्णय में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जानेवाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची I [विनियम 2 (घ) देखें]

प्रवेश के समय अधिकतम आयु	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	रक्षा की अवधि अधिकतम	रक्षा की अवधि न्यूनतम	रक्षा की अधिकतम राशि	रक्षा का प्रकार
लागू नहीं	लागू नहीं	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये प्रति आस्ति/ रक्षा	निवासगृह और अंतर्वस्तुएँ, या पशुधन या साधन या उपकरण या अन्य नामों की आस्तियाँ या फसल बीमा – सभी जोखिमों के विरुद्ध
उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये	स्वास्थ्य बीमा संविदा (वैयक्तिक)
उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	2,50,000 रुपये	स्वास्थ्य बीमा संविदा (पारिवारिक/सामूहिक)
उत्पाद विशिष्ट	उत्पाद विशिष्ट	1 वर्ष	1 वर्ष	1,00,000 रुपये	वैयक्तिक दुर्घटना (व्यक्तिगत/पारिवारिक/ सामूहिक)

- i. फसल बीमा के अंतर्गत अधिकतम प्रीमियम सीमाओं की गणना प्रति मौसम / प्रति फसल आधार पर की जानी चाहिए।

अनुसूची II [विनियम 2(ड) देखें]

- जीवन अथवा पेंशन अथवा स्वास्थ्य लाभ देनेवाले किसी बीमा उत्पाद के अंतर्गत बीमाकृत राशि 200000 रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।
- असंबद्ध सममूलेतर प्लेटफार्म के अंतर्गत सूक्ष्म परिवर्ती बीमा उत्पाद में वार्षिक प्रीमियम 6000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- वर्तमान विनियमों के उपबंधों के अनुसार वर्धित अनुवृद्धियाँ (एड-ऑन राइडर्स) प्रस्तावित की जा सकती हैं।
- सूक्ष्म-बीमा योजनाओं का विपणन न्यूनतम 5 के समूह आकार से युक्त समूहों के लिए किया जाता है।

अनुसूची- III [विनियम (8)(3) देखें]**जीवन सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के लिए मानदंड:**

- (1) फिलहाल प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म-बीमा प्लेटफार्म के अंतर्गत प्रस्तावित जीवन, स्वास्थ्य और पेंशन उत्पाद निम्नलिखित के अधीन होंगे :
- सूक्ष्म-बीमा उत्पाद लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्पों की अनुमति दे सकते हैं ताकि पॉलिसीधारक प्रीमियमों का विप्रेषण निश्चयमात्रक किस्तों के खंडित भागों में कर सकें।

2. बीमाकर्ता सूक्ष्म-बीमा उत्पादों का प्रस्ताव यूनिट-सहबद्ध प्लेटफार्म के अंतर्गत नहीं करेंगे।
3. इस विनियम में स्पष्ट रूप से निश्चित उपबंधों को छोड़कर आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013, आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 और आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के सभी अन्य उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (सूक्ष्म-बीमा) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित सूक्ष्म-बीमा उत्पादों पर लागू होंगे।
4. नियमित प्रीमियम वाली विशुद्ध मीयादी/स्वास्थ्य पॉलिसी को छोड़कर जहाँ प्रीमियम एक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए प्राप्त किये जाते हैं, सभी असंबद्ध अपरिवर्ती सूक्ष्म-बीमा पॉलिसियों का किन्हीं अवस्थित या निहित बोनसों अथवा पॉलिसी के लिए उपचित हो चुकी गारंटीकृत वृद्धियों सहित, कम से कम अदा किये गये कुल प्रीमियमों का प्रदत्त मूल्य होगा। इस प्रकार का प्रदत्त मूल्य बोनसों अथवा गारंटीकृत वृद्धियों, यदि कोई हों, सहित परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर अथवा मृत्यु होने पर / रक्षित आकस्मिकता के घटित होने पर देय होगा।
5. असंबद्ध परिवर्ती बीमा पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी :
 - i. अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के लिए पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से पाँच वर्ष की अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) होगी। यदि पॉलिसी अवरुद्धता अवधि के दौरान अभ्यर्पित की जाती है तो :
 1. अभ्यर्पण मूल्य केवल अवरुद्धता अवधि समाप्त होने के बाद ही देय होगा।
 2. बीमाकर्ता अभ्यर्पण के अनुरोध की तारीख से पॉलिसी खाते में कोई प्रभार नहीं लगाएगा।
 - ii. पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष पूरे होने के बाद बीमाकर्ता आंशिक आहरण की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि आंशिक आहरण के बाद पॉलिसी खाते में शेष राशि एक पूरे वर्ष के प्रीमियम से कम न हो।
 - iii. नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के संबंध में जीवन बीमाकर्ता समापन प्रभार लगाने के लिए पात्र है जो इसके नीचे 'सारणी - क' के अंतर्गत उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे। कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सारणी - क

सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए लागू अधिकतम समापन प्रभार	जहाँ निम्न पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी समाप्त की गई हो
20% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 800 रुपये के अधीन	1
15% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 600 रुपये के अधीन	2
10% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 400 रुपये के अधीन	3
5% का निम्नतर *(वा.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 200 रुपये के अधीन	4
कुछ नहीं	5 और उससे आगे

- iv. एकल प्रीमियम पॉलिसियों के संबंध में जीवन बीमाकर्ता समापन प्रभार लगाने के लिए पात्र है जो इसके नीचे 'सारणी - ख' के अंतर्गत उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

सारणी – ख

सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए लागू अधिकतम समापन प्रभार	जहाँ निम्न पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी समाप्त की गई हो
2% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 800/- रुपये के अधीन	1
1.5% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 600/- रुपये के अधीन	2
1% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 400/- रुपये के अधीन	3
0.5% का निम्नतर *(ए.प्री. अथवा पॉलिसी खाता मूल्य) अधिकतम 200/- रुपये के अधीन	4
कुछ नहीं	5 और उससे आगे

*वा.प्री. – वार्षिकीकृत प्रीमियम

*ए.प्री. – एकल प्रीमियम

- v. अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) के दौरान प्रीमियम देना बंद कर देने की स्थिति में :
1. अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) की समाप्ति पर जीवन रक्षा तत्काल व्यपगत होगी।
 2. वैयक्तिक पॉलिसी खाता अवरुद्धता अवधि की समाप्ति अथवा पुनर्जीवन अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक किसी जीवन रक्षा के बिना संबंधित समाप्त पॉलिसी खाते के अंदर जारी रखा जाएगा।
 3. अवरुद्धता अवधि अथवा पुनर्जीवन अवधि के दौरान यदि पॉलिसी का पुनर्जीवन नहीं किया जाता, तो पॉलिसी को अवरुद्धता अवधि अथवा पुनर्जीवन अवधि, जो भी बाद में हो, की समाप्ति पर समाप्त किया जाएगा जो समापन प्रभार, यदि कोई हों, की वसूली के बाद वैयक्तिक पॉलिसी खाते में शेष राशि का भुगतान करते हुए किया जाएगा।
 4. अवरुद्धता अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में वैयक्तिक पॉलिसी खाते में शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
 5. समाप्त पॉलिसियों का पुनर्जीवन किये जाने पर जोखिम रक्षा को सभी प्राप्य और अदत्त प्रीमियम प्राप्त करने के बाद पुनर्जीवन की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई ब्याज अथवा शुल्क अथवा प्रभार लागू किये बिना पॉलिसी संविदा की शर्तों के अधीन पुनः चालू किया जाएगा।
- vi. अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) के बाद प्रीमियम देना बंद कर देने की स्थिति में :
1. वैयक्तिक पॉलिसी खाता पुनर्जीवन अवधि की समाप्ति तक जीवन रक्षा के साथ जारी रखा जाएगा।
 2. यदि पॉलिसी का पुनर्जीवन किया जाता है, तो पॉलिसी संविदा की शर्तों के अधीन पुनर्जीवन की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई ब्याज अथवा शुल्क अथवा प्रभार लागू किये बिना सभी प्राप्य और अदत्त प्रीमियम प्राप्त करने के बाद पॉलिसी जीवन रक्षा के साथ जारी रहेगी।
 3. यदि पुनर्जीवन अवधि के दौरान पॉलिसी का पुनर्जीवन नहीं किया जाता, तो अंतर्निहित पॉलिसी खाता मूल्य देय होगा।

- vii. सभी सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के लिए सकल प्रतिफल और निवल प्रतिफल के बीच अंतर: पाँचवें पॉलिसी वर्ष दिवस से सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए प्रतिफल में अधिकतम कटौती निम्नांकित सारणी (ग) के अनुसार होगी।

सारणी - ग

प्रतिफल में अधिकतम कटौती (सकल और निवल प्रतिफल के बीच अंतर) (% प्रति वर्ष)	प्रारंभ से व्यतीत हुए वर्षों की संख्या
4.80%	5
4.50%	6
4.20%	7
4.00%	8
3.80%	9
3.60%	10
3.30%	11 और 12
3.00%	13 और 14
2.65%	15 और उसके बाद

- (I) अवधि से युक्त पॉलिसियों के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल में निवल कटौती:
- (1) 10 वर्ष से कम अथवा उसके समान अवधि के लिए 3.60% से अधिक नहीं होगी तथा
 - (2) 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 2.65% से अधिक नहीं होगी।
- (II) कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के पॉलिसी खाते का जारी रहना:
- 1) फिलहाल प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के उपबंधों के होते हुए भी, पॉलिसी के समापन पर और समापन पॉलिसी खाता मूल्य की ऐसी आगम राशि के भुगतान के बाद जीवन बीमाकर्ता :
 - (1) अपने विवेक पर सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के अंतर्गत शून्य पॉलिसी खाता मूल्य के साथ पॉलिसी को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं।
 - (2) बीमाकृत व्यक्ति को समाप्त पॉलिसी की शेष अवधि के दौरान किसी भी समय प्रीमियमों का भुगतान प्रारंभ करने और जीवन बीमा रक्षा की अनुमति दे सकते हैं।
 - (3) बीमाकृत व्यक्ति को पॉलिसी के प्रारंभ में अथवा पुनर्जीवन करने पर इस विकल्प का चयन करने की अनुमति दे सकते हैं।
 - (4) जीवन बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार पॉलिसी को जारी रखने के लिए परवर्ती अनुरोध प्राप्त होने पर शून्य पॉलिसी खाते में प्रीमियमों का भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
 - (5) शून्य पॉलिसी खाता मूल्य पर पॉलिसी के रहते समय कोई प्रभार नहीं लगाएँगे तथा कोई जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं कराएँगे।
 - (6) जिन पॉलिसीधारकों ने पॉलिसी का अभ्यर्पण किया है, उन्हें शून्य पॉलिसी खाता मूल्य का विकल्प उपलब्ध नहीं कराएँगे।
 - (7) जारी रखा गया अथवा बाद में प्रत्यास्थापित किया गया शून्य शेष वाला पॉलिसी खाता अंतर्निहित पॉलिसी की शर्तों और बीमाकर्ता की जोखिम-अंकन नीति के अधीन तथा प्रारंभ की संशोधित तारीख के साथ इन विनियमों के अधीन होगा।
 - (8) यदि उत्पाद को हटा लिया जाता है, तो 'शून्य पॉलिसी खाते' के प्रस्ताव को जारी रखने की अपेक्षा नहीं होगी।

- (9) शून्य शेष वाले पॉलिसी खातों के अनुरक्षण के लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किये जाएँगे।
- (10) कोई भी 'शून्य शेष पॉलिसी खाते' वाली पॉलिसियाँ जीवन बीमाकर्ताओं की बहियों में विद्यमान नहीं मानी जाएँगी तथा इस प्रकार की पॉलिसियों को बहियों में केवल ऐसी तारीख से प्रीमियमों का पुनः प्रारंभ होने पर ही लिया जाएगा। 'शून्य शेष पॉलिसी खाते' वाली पॉलिसियाँ बहियों में 'पॉलिसियों की कुल संख्या' के लिए तब तक नहीं गिनी जाएँगी, जब तक कि इन पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम पुनः प्रारंभ नहीं किये जाते। इसके अतिरिक्त, प्रीमियमों के पुनः प्रारंभ होने पर ऐसी पॉलिसियाँ 'नये व्यवसाय' के रूप में नहीं मानी जाएँगी।
- (III) सूक्ष्म बीमा व्यवसाय को आईआरडीए (संबद्ध / असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियमों में निर्धारित आवश्यकतानुरूप लाभ निदर्शन और प्रकटीकरण के मानदंडों से छूट दी गई है।
- (IV) सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसी खाता विवरण पॉलिसीधारकों को कम से कम वर्ष में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा।
- (V) जीवन बीमाकर्ता सभी सूक्ष्म परिवर्ती जीवन बीमा उत्पादों के संबंध में पॉलिसी दस्तावेज के साथ आवश्यकतानुरूप लाभ निदर्शन क्रमशः 4% और 8% के सकल निवेश प्रतिलाभों पर अथवा समय-समय पर आईआरडीए अथवा जीवन बीमा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में गारंटीकृत और अगारंटीकृत लाभ उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करेंगे।
- (VI) सभी वर्तमान सूक्ष्म बीमा उत्पाद जो इन विनियमों के अनुसार नहीं हैं, 01 जनवरी, 2016 से हटाये जाएँगे।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./161/14 (331)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th March, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015

F. No. IRDA/Reg/2/92/2015 — In exercise of the powers conferred by Section 114A(1) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations -

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and supersede IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2005 from such date.

DEFINITIONS

2. In these regulations, unless the context requires otherwise—

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time.

(b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section (3) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;

(c) "family" means a unit comprising of husband, wife, dependant parents and maximum of three children:

Provided that where the number of children is more than three, for construing the composition of family as aforesaid, the first three children shall be included:

Provided further that an insurer may, within the aforesaid parameters laid down for the composition of the family, define 'family' as per the requirements of the individual or group;

(d) "general micro-insurance product" means any health insurance contract, any contract covering the belongings, such as, hut, livestock or tools or instruments or any personal accident contract, either on individual or group basis, as per terms stated in Schedule I of these regulations;

(i): General Insurance policies issued to Micro, Small and Medium Enterprises as classified in Section (7) of Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 under various lines of General insurance business will also be qualified as general micro insurance business up to Rs10,000 premium p.a. per MSM Enterprise.

(e) “life micro-insurance product” means a life insurance product designed as per terms stated in Schedule II of these regulations;

(f) “micro-insurance agent” means the following entities or individuals who are appointed as Micro Insurance Agents in accordance to these regulations

(i) a Non-Government Organisation (NGO);

(ii) a Self-Help Group (SHG);

(iii) a Micro-Finance Institution (MFI)

(iv) RBI regulated NBFC – MFIs

(v) District Cooperative Banks licensed by Reserve Bank of India subject to being eligible as per extant norms of Reserve Bank of India

(vi) Regional Rural Banks established under Section (3) of Regional Rural Banks Act, 1976 subject to being eligible as per extant norms of Reserve Bank of India

(vii) Urban Co-operative banks licensed by Reserve Bank of India subject to being eligible as per extant norms of Reserve Bank of India

(viii) Primary Agricultural Cooperative Societies

(ix) Other Cooperative Societies registered under any of the Cooperative Societies Acts

(x) Business correspondents appointed in accordance to the extant RBI Guidelines with any of the Scheduled Commercial Banks

Explanation— For the purposes of these regulations,—

(I) *Non-Government Organisation (NGO)*, referred at Regulation (2) (f) (i), means a non-profit organization registered as a society under any law, non-profit organization registered with non-profit objective under Section 8 of Companies Act, 2013 and has been working at least for three years with marginalized groups, with proven track record, clearly stated aims and objectives, transparency and accountability as outlined in its memorandum, rules, by-laws or regulations, as the case may be, and demonstrates involvement of committed people.

(II) *Self-Help Group (SHG)*, referred at Regulation (2) (f) (ii), means any informal group consisting of ten or more persons and has been working at least for three years with marginalized groups, with proven track record, clearly stated aims and objectives, transparency and accountability as outlined in its memorandum, rules, by-laws or regulations, as the case may be, and demonstrates involvement of committed people.

(III) *Micro-Finance Institution*, referred at Regulation (2) (f) (iii), means any institution or entity or association registered under any law for the registration of societies or co-operative societies, as the case may be, *inter alia*, for sanctioning loan/finance to its members;

(IV) The entities referred in (i) to (x) of Regulation 2 (f) above who are already engaged in soliciting the insurance business as Corporate Agents or as Insurance Brokers or appointed as Referral Company are not eligible to be appointed as Micro Insurance Agents.

(v) Where the Business Correspondents referred at Regulation 2 (f) (x) above are the individuals and are already engaged in soliciting the insurance business as Insurance Agents or appointed as Specified Persons of Corporate Agents, Specified Persons of Micro Insurance Agents or employees of Insurance Brokers, they are not eligible to be appointed as Micro Insurance Agents.

(g) “micro-insurance policy” means an insurance policy sold under a plan which has been specifically approved by the Authority as a micro-insurance product;

(1) For the purpose of these Regulations Micro Insurance is the insurance provided through the Micro Insurance Products approved under these regulations.

(h) “micro-insurance product” includes a general micro-insurance product or life insurance product or health insurance product, proposal form and all marketing materials in respect thereof;

(i) all words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as modified from time to time, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

TIE UP BETWEEN LIFE INSURER AND GENERAL INSURER

3. (1) An insurer carrying on life insurance business may offer life micro insurance products as also general micro-insurance products, as provided herein:

Provided that where an insurer carrying on life insurance business offers any general micro-insurance product, he shall have a tie-up with an insurer carrying on general insurance business for this purpose, and subject to the provisions of Section 64VB of the Act, the premium attributable to the general micro insurance product may be collected from the prospect (proposer) by the insurer carrying on life insurance business, either directly or through any of the distributing entities of micro-insurance products as specified in Regulation (4) and made over to the insurer carrying on general insurance business:

Provided further that in the event of any claim in regard to general micro insurance products, the insurer carrying on life insurance business or the distributing entities of micro-insurance products, as the case may be, as may be specified in the tie-up referred to in the first proviso, shall forward the claim to the insurer carrying on general insurance business and offer all assistance for the expeditious disposal of the claim.

(2) An insurer carrying on general insurance business may offer general micro insurance products as also life micro-insurance products, as provided herein:

Provided that where an insurer carrying on general insurance business offers any life micro-insurance product, he shall have a tie-up with an insurer carrying on life insurance business for this purpose, and subject to the provisions of Section 64VB of the Act, the premium attributable to the life micro-insurance product may be collected from the prospect (proposer) by the insurer carrying on general insurance business, either directly or through any of the distributing entities of micro-insurance products as specified in Regulation (4), and made over to the insurer carrying on life insurance business :

Provided further that in the event of any claim in regard to life micro-insurance products, the insurer carrying on general insurance business or the distributing entities of micro-insurance products, as the case may be, as may be specified in the tie-up referred to in the first proviso, shall forward the claim to the insurer carrying on life insurance business and offer all assistance for the expeditious disposal of the claim.

For the purpose of these Regulations, the General Insurer includes Health Insurer.

DISTRIBUTION OF MICRO INSURANCE PRODUCTS

4 (1) In addition to an insurance agent or corporate agent or broker appointed / registered under the Act, read with the regulations concerned made by the Authority for appointing / registering individual or corporate agents, or insurance brokers, as the case may be and such other insurance intermediaries that are allowed to solicit the insurance business by the regulations notified by the Authority, micro-insurance products may be distributed through the micro-insurance agents:

Provided that a micro-insurance agent shall not distribute any insurance product other than a micro-insurance product

(2): For the purpose of distributing the General Micro Insurance Products referred at Regulation 2 (d) (i);

(a) A General Insurance Company has the option of appointing Micro Insurance Agent to any one of the sectors of; Micro Enterprises or Small Enterprises or Medium Enterprises or for all three sectors or any combination of two sectors

(b) A General Insurance Company has the option of appointing Micro Insurance Agents for various lines of business either independently to each line of business or any combination thereof or to all lines of General Insurance business

(c) A General Insurance Company has the option of appointing Micro Insurance Agents in these combinations either in the Manufacturing Sector or in the Service Sector or both.

APPOINTMENT OF MICRO INSURANCE AGENTS

5. (1) A micro-insurance agent shall be appointed by an insurer by entering into a deed of agreement, which shall clearly specify the terms and conditions of such appointment, including the duties and responsibilities of both the micro-insurance agent and the insurer:

(2) A micro insurance agent may work with One Life Insurance Company and one General Insurance Company. In addition to this a Micro Insurance Agent may also work with Agriculture Insurance Company of India Ltd and with any one of the health insurance companies registered with the Authority.

(3) The deed of agreement referred to in sub-regulation (1) shall specifically authorize the micro-insurance agent to perform one or more of the following additional functions, namely:

(a) collection of proposal forms;

(b) collection of self-declaration from the proposer that he/she is in good health;

(c) collection and remittance of premium.

(i) Where the micro insurance agents are authorized to collect and remit the premiums, they shall be mandated by the Insurers for issuing acknowledgements on collection of premiums and every Insurer shall put in place procedures to enable Micro Insurance Agents issue such acknowledgments.

(ii) Insurers are accountable to such premium acknowledgements issued by the Micro Insurance Agents.

(d) distribution of policy documents;

(e) maintenance of register of all those insured and their dependants covered under the micro-insurance scheme, together with details of name, sex, age, address, nominees and thumb impression/signature of the policyholder;

(f) assistance in the settlement of claims;

(g) ensuring nomination to be made by the insured;

(h) any policy administration service.

(4) The micro-insurance agent or the insurer shall have the option to terminate the agreement referred to in sub-regulation 5(1), after giving a notice of three months by the party intending to terminate the agreement:

Provided that no such notice shall be necessary, where the termination is on account of any misconduct or indiscipline or fraud committed by the microinsurance agent.

(a) An Insurer may appoint a person or entity whose micro insurance agency was terminated, other than on the grounds of fraud / mis conduct, and enter into a deed of agreement in accordance to the provisions of Regulation (5) (1) only after the expiry of 3 months from the date of termination of the said agreement by previous insurer. No Insurer shall re-appoint a Micro Insurance Agent whose agency was terminated on grounds of fraud or misconduct till such person / entity is exonerated of charges.

(b) In case of termination of a Micro Insurance Agent, the lapsed Micro Insurance policies of the terminated Micro Insurance agent may be allotted to another in force Micro Insurance Agent of the same insurer by obtaining the prior consent of such in-force micro insurance agent, by specifying that the objective of the allotment is to conserve and render policy service to the Micro Insurance policyholders. The Micro Insurance agent who is allotted such lapsed Micro Insurance Policies is entitled to remuneration / commission as per the File and Use of the respective micro insurance product. Remuneration / Commission shall be payable only on receipt of micro insurance premium.

(5) Every Insurer shall carry out due diligence before appointing a Micro Insurance Agent with regard to the reputation, track record and ability to function in compliance with the regulations and in the best interests of policy holders.

EMPLOYMENT OF SPECIFIED PERSONS BY MICRO INSURANCE AGENTS

6 (1) A micro-insurance agent shall employ specified persons with the prior approval of the insurer for the purpose of discharging all or any of the functions stated in sub-regulation (3) of regulation 5.

Provided that corporate agents, insurance brokers and such other insurance intermediaries that are allowed to solicit the insurance business and procuring micro-insurance business shall continue to be governed by the respective regulations issued by the Authority and as amended from time to time.

(i) A specified Person who resigned from a Micro Insurance Agent shall be eligible for reappointing as a specified person of other Micro Insurance Agent only after the expiry of 3 months from the date of resignation.

(ii) No Micro Insurance Agent shall employ the specified person working for another Micro Insurance Agent.

(iii) No Micro Insurance Agent shall employ the individual insurance agents who are working with any insurer, specified persons of corporate agents who are working with any insurer and employees of Insurance Brokers.

6 (2) Where a Micro Insurance Agent is an individual appointed by an insurance company he shall not employ Specified Persons.

CODE OF CONDUCT OF MICRO INSURANCE AGENTS

7. (1) Every micro-insurance agent and specified person employed by him shall abide by the Code of Conduct as laid down in regulations applicable for insurance agents issued by the Authority and as amended from time to time and the relevant provisions of Regulation or guidelines issued by the Authority in relation to the Insurance Advertisements and Disclosure as modified from time to time:

Provided that the insurer shall ensure compliance of the Code of Conduct, advertisements and disclosure norms by every micro-insurance agent.

(2) Any violation by a micro-insurance agent of the Code of Conduct and/or advertisement or disclosure norms as aforesaid shall lead to termination of his appointment, in addition to penal consequences for breach of Code of Conduct and/or advertisement or disclosure norms pursuant to the provisions of sub regulation(1).

FILING OF MICRO INSURANCE PRODUCT

8. (1) Every insurer shall be subject to the “file and use” procedure with respect to filing of micro-insurance products with the Authority.

(2) Every micro-insurance product which is cleared by the Authority for the purpose of micro-insurance shall prominently carry the caption “Micro-Insurance Product”.

(3) Life Micro Insurance Products filed with the Authority under these regulations shall be subject to the norms stipulated under Schedule – III of these Regulations.

ISSUANCE OF MICRO INSURANCE POLICY CONTRACTS

9. (1) Every insurer shall issue insurance contracts to the individual micro insurance policyholder in the languages recognised in the constitution of India which is simple and easily understood by the policyholders.

Provided that where issuance of policy contracts in the languages recognised in the constitution of India is not possible, the insurer shall as far as possible issue a detailed write-up about the policy details in the respective language.

(2) Every insurer shall issue insurance contracts to the group micro-insurance policyholder in an unalterable form along with a schedule showing the details of individuals covered under the group, and also issue a separate certificate, to each such individual evidencing proof of insurance, containing details of validity period of cover, name of the nominee, and addresses of the underwriting office and the servicing office, where both offices are not the same.

(3) Notwithstanding the provisions of Regulation 9 (1), the insurers may also allow the Micro Insurance Agents to print the policy contract on a plain A – 4 size paper for onward transmission to the Micro Insurance Policy holder. The evidence of payment of policy stamp may be shown on the printed policy document.

UNDERWRITING

10. No insurer shall authorize any micro-insurance agent or any other outsider to underwrite any insurance proposal for the purpose of granting insurance cover.

CAPACITY BUILDING

11. (1) Every insurer shall impart at least twenty-five hours of training at its expense and through its designated officer(s) in the languages recognised by the Constitution of India to all micro-insurance agents and their specified persons in the areas of insurance selling, policyholder servicing and claims administration.

Provided those micro insurance agents who are appointed to distribute General Insurance policies to MSME Sector in accordance to Regulation 4(2) of these regulations in those lines of business to which such Micro Insurance Agent is appointed shall undergo additional 25 hours of the training at the expenses of the insurer.

(2) Not less than half of the number of hours of training referred at Regulation 11 (1) shall be imparted as refresher training on the expiry of every spell of three years from the date of entering into the agreement.

(3) As part of training programme, the Micro Insurance Agents shall be apprised of their obligation to intimate the insurer in the event of occurrence of contingent event covered in the underlying policy of micro insurance which is to their knowledge.

REMUNERATION / COMMISSION

12. (1) A micro-insurance agent may be paid, remuneration for all the functions rendered as outlined in regulation 5 and including commission, by an insurer, and that the same shall not exceed the limits as stated below :

(a) *For Life Insurance Business:*

Single Premium policies - *Ten per cent of the single premium*

Non-single premium policies - *Twenty per cent of the premium for all the years of the premium paying term*

(b) *For General Insurance Business: Fifteen per cent of the premium.*

(2) Where the agreement between the micro-insurance agent and insurer is terminated for any reason whatsoever, no future commission/remuneration shall be payable.

(3) For group insurance products, the insurer may decide the commission subject to the overall limit as specified in sub-regulation (1).

(4) The remuneration under Micro Insurance products payable to registered Insurance Intermediaries other than the Micro Insurance Agents shall be in accordance to the provisions of the respective applicable Regulations/ provisions of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

COMPLIANCE TO THE ACT AND REGULATIONS

13. (1) Every insurer shall ensure that all transactions in connection with micro-insurance business are in accordance with the provisions of the Act as amended from time to time the Insurance Regulatory and Development Act, 1999, and the rules and regulations made there under.

Notwithstanding the provisions of Regulation (13) (1);

(2) The provisions of IRDA (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013 are not applicable to Life Micro Insurance Products approved under these Regulations.

OBLIGATIONS TO RURAL AND SOCIAL SECTORS

14. (1) All micro-insurance policies may be reckoned for the purposes of fulfilment of social obligations by an insurer pursuant to the provisions of the Act as amended from time to time and the regulations made there under.

(2) Where a micro-insurance policy is issued in a rural area and falls under the definition of social sector, such policy may be reckoned for both under rural and social obligations separately.

HANDLING OF COMPLAINTS / GRIEVANCES

15. (1) It shall be the responsibility of the insurer to handle and dispose of complaints against a micro-insurance agent with speed and promptitude.

(2) Every insurer shall send a quarterly report to the Authority regarding the handling of complaints/grievances, if any, against the micro-insurance agents.

INSPECTION BY AUTHORITY

16. The Authority may cause inspection of the office and records of any micro-insurance agent, at any time, if it is deemed necessary.

SUBMISSION OF INFORMATION

17. Every insurer shall furnish information in respect of micro-insurance business in such form and manner and containing such particulars, as may be required by the Authority from time-to-time.

For the purpose of forwarding business / claims data on Micro Insurance Business under these Regulations, the business / claims figures relating to social security schemes of State / Central Government and administered on behalf of any Government shall be excluded.

POWER TO REMOVE DIFFICULTIES AND ISSUE CLARIFICATIONS

18. In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

SCHEDULE I [See Regulation 2 (d)]

Type of Cover	Maximum Amount of Cover	Term of Cover Min.	Term of Cover Max.	Minimum Age at entry	Maximum age at entry
Dwelling and contents, or livestock or tools or implements or other names assets or crop insurance—against all perils	Rs.1,00,000 Per Asset/ Cover	1 year	1 year	N.A	N.A
Health Insurance Contract (Individual)	Rs. 1,00,000	1 year	1 year	Product specific	Product specific
Health Insurance Contract (Family/Group)	Rs 2,50,000	1 year	1 year	Product specific	Product specific
Personal Accident (Individual/Family/Group)	Rs. 1,00,000	1 year	1 year	Product specific	Product specific

- i. Maximum Premium limits under Crop Insurance to be reckoned on per season / per crop basis.

SCHEDULE II (See Regulation 2 (e))

1. The sum assured under an Insurance product offering Life or pension or Health benefits shall not exceed an amount of Rs. 200000.
2. The Annual Premium shall not exceed Rs. 6000 p.a. in a Micro Variable Insurance product under Non Linked Non-Par platform.
3. Add on riders may be offered in accordance to the provisions of the extant Regulations.
4. Micro Insurance schemes marketed to Groups with a minimum Group Size of 5.

SCHEDULE – III [See Regulation (8) (3)]**NORMS FOR LIFE MICRO INSURANCE PRODUCTS:**

- (I) Notwithstanding anything contrary to the provisions of any other regulations for the time being in force, the life, health and pension products offered under micro insurance platform shall be subject to the following :
- a. Micro Insurance Products may allow the flexible premium payment options to enable the policyholders to remit the premiums in fragmented parts of the modal instalments.
 - b. Insurers shall not offer micro insurance products under unit linked platform.
 - c. Except to the provisions explicitly provided for in this regulation, all other provisions of IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013, IRDA (Non Linked Insurance Products) Regulations, 2013 and IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013 shall be applicable *mutatis mutandis* to the Micro Insurance Products approved as per the provisions of the IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2015 as modified from time to time.
 - d. Except for a regular premium pure term/health policy, where premiums are received for one full policy year, all the non-linked non variable micro insurance policies shall have a paid up value of at least the total premiums paid along with any subsisting or vested bonuses or guaranteed additions already accrued to the policy. Such paid up value along with bonuses or guaranteed additions, if any, shall be payable either on maturity or on death / on the happening of the contingency covered.
 - e. The non-linked variable insurance policy, shall:
 - i. Have a lock-in period of five years from the date of commencement of the policy for payment of surrender value. If the policy is surrendered during the lock- in period:
 1. The surrender value shall be payable only after completing the lock-in period.
 2. The insurer shall not levy any charge to the policy account from the date of surrender request.
 - ii. After completing two years from the date of commencement of the policy, insurer may allow partial withdrawal provided the balance in the policy account after the partial withdrawal is not less than one full year's premium.
 - iii. In respect of Regular Premium policies, the Life Insurer is entitled to levy the discontinuation charges which shall not be more than those mentioned under 'Table – a' hereunder. No other fee shall be charged.

Table - a

<i>Where the policy is discontinued during the policy year</i>	<i>Maximum Discontinuance Charges applicable to Micro Variable Life Insurance Products</i>
1	Lower of 20% * (AP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 800
2	Lower of 15% * (AP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 600
3	Lower of 10% * (AP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 400
4	Lower of 5% * (AP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 200
5 and onwards	Nil

- iv. In respect of Single Premium policies, the Life Insurer is entitled to levy the discontinuation charges which shall not be more than those mentioned under 'Table – b' hereunder. No other fee shall be charged.

TABLE – b

Where the policy is discontinued during the policy year	Maximum Discontinuance Charges applicable to Micro Variable Life Insurance Products
1	Lower of 2% *(SP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 800/-
2	Lower of 1.5% *(SP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 600/-
3	Lower of 1% *(SP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 400/-
4	Lower of 0.5% *(SP or policy account value) subject to a maximum of Rs. 200/-
5 and onwards	Nil

*AP- Annualised Premium

*SP-Single Premium

v. Discontinuance of the premium during the lock-in-period:

1. The life cover shall be lapsed immediately on expiry of the grace period.
2. The Individual Policy Account shall be continued within the respective discontinued policy account without any life cover till the end of the lock-in-period or the end of the revival period whichever is later.
3. During the lock-in-period or revival period, if the policy is not revived, the policy shall be terminated at the end of the lock-in-period or revival period whichever is later by paying the balance in the Individual Policy Account, after allowing for the discontinuance charges, if any.
4. In case of death during the lock-in-period, the balance in the Individual Policy Account shall be paid.
5. On revival of the discontinued policies, the risk cover shall be restored upon receipt of all due and unpaid premiums without levying any interest or fee or charge as on date of revival, subject to terms and conditions of the policy contract.

vi. Discontinuance of the premium after the lock-in-period:

1. The Individual Policy Account shall be continued with life cover till the end of the of the revival period.
2. If the policy is revived, the policy shall continue with life cover upon receipt of all due and unpaid premiums without levying any interest or fee or charge as on date of revival subject to terms and conditions of the policy contract.
3. If the policy is not revived during the revival period the underlying policy account value shall be payable.

vii. Difference between Gross Yield and Net Yield for all Micro Variable Life Insurance products:

The maximum reduction in yield for micro variable life insurance policies from the fifth policy anniversary shall be in accordance with the following Table (c).

Table – c

Number of years elapsed since inception	Maximum Reduction in Yield (Difference between Gross and Net Yield (% p.a.))
5	4.80%
6	4.50%
7	4.20%
8	4.00%
9	3.80%
10	3.60%
11 and 12	3.30%
13 and 14	3.00%
15 and thereafter	2.65%

- (i) The net reduction in yield at maturity for policies with term:
- (1) less than or equal to 10 years shall not be more than 3.60% and
 - (2) above 10 years shall not be more than 2.65%.
- (II) Continuation of policy account of Micro Variable Life Insurance Policies under certain circumstances:
- a) Notwithstanding the provisions of any other regulations for the time being in force, on discontinuance of the policy and after payment of such proceeds of the discontinuance policy account value, the life insurers may:
- (1) At its discretion provide the option to continue the policy with zero policy account value under the micro variable life insurance products.
 - (2) Allow the life insured to commence the payment of premiums and life coverage anytime during the remaining term of the discontinued policy.
 - (3) Allow the Life Insured to choose this option either at the inception of the policy or on revival.
 - (4) Accept the payment of premiums to the zero policy account, on subsequent request to continue the policy, in accordance with the Board Approved Underwriting Policy of the Life Insurer.
 - (5) Not levy any charges and shall not provide any life cover, while the policy is on zero policy account value.
 - (6) Not provide the option of zero policy account value to policyholders who have surrendered the policy.
 - (7) The zero balance policy account that is continued or restituted subsequently shall be subject to these regulations, with revised date of commencement, subject to the terms and conditions of the underlying policy and the underwriting policy of the insurer.
 - (8) Not be required to continue the offer of the '*Zero Policy Account*', if the product is withdrawn.
 - (9) No charges shall be collected for maintaining the *zero balance policy accounts*.
 - (10) No '*Zero Balance Policy Account*' policies shall be treated as being on-books of the life insurers and such policies shall be taken to books only on recommencement of the premiums from such date. '*Zero Balance policy account*' policies shall not count for "Total Number of Policies" in books, unless premiums re-commence under these policies. Further, such policies shall not be treated as "New Business" on re-commencement of premiums.
- (III) Customised benefit illustration and disclosure norms prescribed in IRDA (Linked / Non Linked Insurance Products) Regulations are exempted to the Micro Insurance business.
- (IV) In respect of Micro Variable Life Insurance Policies the policy account statement shall be made available to the policyholders at least once in a year.
- (V) Life Insurers shall forward Customised Benefit illustration along with the policy document in respect of all micro variable life insurance products, illustrating the guaranteed and non-guaranteed benefits at gross investment returns of 4% and 8% respectively or as specified by IRDA or Life Insurance Council from time to time.
- (VI) All the existing Micro Insurance Products that are not in compliance to these regulations shall be withdrawn with effect from 01st January, 2016.

T.S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT-III/4/ Exty./161/14 (331)]